मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। राजस्थान में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं जन स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की तथा मार्गदर्शन लिया। राजस्थान के उपचुनावों में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह पहली मुलाकात थी।

लखीमपुर खीरी कांडः आरोपी मिश्रा से गवाहों को धमकाने पर जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 के हिंसा मामले के आरोपियों में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को, गवाहों को धमकाने के आरोप पर चार सप्ताह में अपना जवाब देने का बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। शिकायतकर्ताओं में से एक का पक्ष रख रहे वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उन्होंने मिश्रा द्वारा गवाहों को धमकाने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर पीठ ने आरोपी आशीष के अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। दवे ने हालांकि, आरोपों से इन्कार किया और कहा कि यह एक 'अंतहीन प्रक्रिया' है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तस्वीरों में उनका मुवक्किल नहीं है।

पीठ पर दवे की इन दलीलों का असर नहीं हुआ। पीठ ने उनसे हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

दौसा विधायक बैरवा ने कार्यकर्ताओं के साथ पायलट का आभार जताया

राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, दौसा सीट पर पूरे देश की नज़र थी

दौसा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक दीनदयाल बैरवा ने अपने परिजनों एवं क्षेत्रवासियों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से उनके घर पर मुलाकात की व आभार प्रकट किया।

जयपुर, 27 नवम्बर। दौसा से नव-निर्वाचित विधायक दीनदयाल बैरवा के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए पायलट ने कहा कि इन उपचुनावों पर, खास कर दौसा विधानसभा क्षेत्र पर पूरे देश की नज़र थी। यहां से पार्टी को जो कामयाबी मिली है उसका श्रेय आप सभी को जाता है। उन्होंने कहा कि दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों, मण्डल अध्यक्षों सहित सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कार्य किया। दौसा के प्रत्येक समाज, वर्ग के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ देकर इस चुनौती पूर्ण समय में एकजुटता का परिचय दिया और सरकार, प्रशासन के दबाव में नहीं आकर कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन एवं आशीर्वाद दिया, जिसके लिए मैं दौसा की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

- **नवनिर्वाचित विधायक दीन दयाल बैरवा दौसा से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं व जिला पदाधिकारियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर जीत के लिए आभार जताने व धन्यवाद देने आये।**

इस अवसर पर नव-निर्वाचित विधायक बैरवा ने पायलट का आभार व्यक्त करते हुए सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर कार्य करने तथा दौसा के विकास एवं जनहित के मुद्दों के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा एकजुटता के साथ करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर बैरवा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित ए.आई.सी.सी. एवं प्रदेश के सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त किया।

'संविधान दिवस मना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश जय देवी शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 95 साल की विधवा महिला है। जिसके पति का गत वर्ष 18 मई को निधन हो गया था। याचिकाकर्ता अनपढ़ है और उनका बैंक खाता भी नहीं है। याचिकाकर्ता ने गत 14 जून को पेंशन के लिए आवेदन किया तो बैंक खाता नहीं होने के कारण उसे पेंशन नहीं मिली। वहीं, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड व बायोमैट्रिक्स नहीं होने के चलते उसका बैंक खाता भी नहीं खुल पाया। इन कारणों के चलते उसे पेंशन नहीं मिल पाई है, जबकि वह कानूनन पेंशन की अधिकारी है। ऐसे में उसे पेंशन दिलाई जाए। अदालत ने इस मामले में दिशा-निर्देश देते हुए राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है।

विद्यार्थियों को नशे से बचाने के लिए कदम उठायें

जयपुर, 27 नवंबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विद्यार्थियों में नशे की सप्लाई को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने जिला स्तरीय गठित विशेष इकाईयों को दिशा- निर्देश जारी किए हैं।

प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने कहा है कि विशेष इकाइयाँ अपने क्षेत्र में नशे के आदी बालकों की पहचान करें और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराएं और मनोचिकित्सकों और डॉक्टरों के साथ मिलकर नियमित संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करें। सदस्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि आमजन व बालकों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए

- **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला स्तरीय विशेष इकाइयों को इस विषय में सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिये।**

विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा दवा विक्रेताओं को जागरूक किया जाए कि वे बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई दवा नहीं दें। सदस्य सचिव ने इकाइयों को कहा है कि नशा मुक्ति केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया जाए और इसमें पाई गई कमियों को दूर किया जाए। इसके अलावा यदि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी किसी नियम की अवहेलना होती है तो पुलिस प्रशासन से समन्वय कर उचित आपराधिक कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई थीं, जिसमें बताया गया था कि कोटा में एकाग्रता बढ़ाने की गोली के बहाने विद्यार्थियों को ड्रग्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह सीकर में पांच सौ रुपए में स्मैक बिक रही है। जोधपुर में भी कोचिंग संस्थानों के पास एमडी ड्रग्स बेचने का खुलासा किया गया था।

विपक्ष ने वक्फ विधेयक संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़वाया

समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा, बिल लटकने की संभावना बढ़ी

नई दिल्ली, 27 नवंबर। वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति में बुधवार को बवाल मच गया। विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही को मजाक बताते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया। हालांकि, बाद में वे वापस लौट आए। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कार्यकाल बढ़ाने की बात कही है। विपक्ष का कहना है कि विधेयक पर पूरी तरह से विचार करने के लिए और समय चाहिए। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ने के बाद, यह भी तय है कि वक्फ बिल इस संसद सत्र में पेश नहीं हो पाएगा। यह और लंबे समय तक के लिए लटक सकता है।

संसद की एक कमेटी वक़्फ़ कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। इस कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल हैं। बुधवार को मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि मीटिंग जल्दबाज़ी में की जा रही है। विपक्ष कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है ताकि क़ानून पर ठीक से विचार हो सके। चेयरमैन ने कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई है।

- **भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति को दूसरे लोगों व 6 राज्य सरकारों की बात सुननी बाकी है, इसलिये स्पीकर से कार्यकाल बढ़ाने के लिये अनुरोध करेंगे।**

भाजपा सांसद और वक़्फ़ जे.पी.सी. चेयरपर्सन जगदंबिका पाल ने मीटिंग के बाद कहा कि हमें अभी भी दूसरे लोगों और छह राज्यों के अधिकारियों की बात सुननी है। इन राज्यों में वक़्फ़ और राज्य सरकारों के बीच विवाद हैं। 123 प्रॉपर्टी पर भारत सरकार, शहरी मंत्रालय और वक़्फ़ बोर्ड के बीच विवाद है। हमें लगता है कि कार्यकाल बढ़ाने की ज़रूरत है।

कमेटी मेंबर और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 2025 के बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

अपराजिता सारंगी ने आगे कहा कि हमारे पास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सुनवाई थी और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। हंगामा मूल रूप से रिपोर्ट जमा करने के संबंध में उनके अनुरोध से उत्पन्न हुआ। इस बारे में काफी बहस हुई। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी महसूस किया कि कुछ समय का विस्तार होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ समय निश्चित रूप से आवश्यक है।

प्रिंसिपल व दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बलात्कार), 49 (उकसाना), और 351(2) (आपराधिक धमकी), साथ ही धारा 6 (गंभीर यौन हमला) और 17 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

इंडिया गठबंधन के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समायोजन नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम कमजोर हैं, वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को हमारे साथ समायोजन करना चाहिये।' अहंकार, स्वयं को हकदार मान लेना तथा क्षेत्रीय दलों को क्षुद्र मानना सर्वनाश का रास्ता है।''

पिछले सप्ताह, महाराष्ट्र में कांग्रेस-शिव सेना (यू.बी.टी.)- एन.सी.पी. (एस.पी.) गठबंधन की करारी हार के बाद, टी.एम.सी. ने अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया तथा पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की मुखिया नामजद किये जाने की माँग की। कल्याण बनर्जी ने सोमवार को कहा, ''पिछले तीन चार साल से उन्होंने (कांग्रेस) क्या किया है? इंडिया गठबंधन का नेता कौन है? विपक्ष के चेहरे के रूप में, किसी को भी नेता नहीं चुना गया है। अब यह करना ही होगा। कांग्रेस असफल हो गई है, यह तो प्रमाणित हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा में कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। महाराष्ट्र में वे असफल हो गये हैं। केवल यही नहीं, कांग्रेस हारी है, इसका मतलब, इंडिया गठबंधन में शामिल हम सब हार गये हैं। हमने कांग्रेस पर भरोसा जताया, लेकिन वह परिणाम हासिल नहीं कर सकी।''

उन्होंने आगे कहा, ''देखिये, उपचुनाव हुये। हर व्यक्ति ने ममता बनर्जी की आलोचना की, लेकिन हम बंगाल की सभी 6 सीटें जीत गए। यही नहीं, हम एक लाख वोटों के अन्तर से जीते। जनता ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया। बंगाल तथा पूरे भारत की जनता ममता बनर्जी से प्रेम करती है। क्यों? उनके संघर्षशील चरित्र के कारण।''

कौन बनेगा ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी) को 41 और शिवसेना (शिंदे) को 57 सीटें मिली हैं। वर्तमान राज्य सरकार का कार्यकाल 26 नवम्बर को खत्म हो गया है और अभी तक मुख्यमंत्री पद का निर्णय नहीं हुआ है। भाजपा नेता और निवर्तमान सरकार के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने आज कहा कि इस मामले में तीनों दलों के नेताओं के विचार -विमर्श के बाद फैसला किया जाएगा।

झांसी कॉलेज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चार सदस्यी जांच कमेटी का गठन गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटा दिया गया है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सचिन माहुर को चार्जशीट दी गई है। वहीं, कॉलेज के अवर अभियन्ता (विद्युत) संजीत कुमार, एनआईसीयू वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय एवं मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौड़ को तत्काल निलम्बित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि पिछली 15 नवम्बर को झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी जबकि बाद में गंभीर रुप से झुलसे आठ और नवजात बच्चों की मृत्यु होने से मरने वाले बच्चों संख्या बढ़ कर 18 हो गयी थी।

'कोटा बार के चुनाव 13 दिसम्बर को ही हों'

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो साल के कार्यकाल के आधार पर अगले साल चुनाव की याचिका खारिज की थी

जयपुर, 27 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा अभिभाषक संघ के चुनाव आगामी 13 दिसंबर को नहीं कराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभिभाषक संघ ने गत 29 जून को अपने संविधान में संशोधन कर कार्यकारिणी के कार्यकाल को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया था और इस संशोधन को याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।

जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृपा शंकर व अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में अदालत को बताया गया कि अभिभाषक संघ के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव होंगे। वहीं, हाईकोर्ट ने 24 अगस्त, 2023 को आदेश जारी कर प्रदेश की हर बार एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को करने के निर्देश दे रखे हैं। याचिका में बताया गया कि कोटा अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव गत वर्ष दिसंबर माह में हुए थे। ऐसे में संघ के संविधान और अदालती आदेश की पालना में इस साल अन्य बार एसोसिएशनों की तरह कोटा अभिभाषक संघ को अपने चुनाव 13 दिसंबर को कराने थे। इसके बावजूद संघ ने गत 29 जून को आम बैठक में निर्णय लेना बताकर मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ा लिया। यह कार्यकाल बढ़ाने का आधार वकीलों के कल्याण और कोर्ट बिल्डिंग के लिए भूमि आवंटन बताया गया। याचिका में कहा गया कि इस आम बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय संविधान के खिलाफ है।

- **याचिका में कहा गया था, कि कोटा अभिभाषक संघ ने अपने संविधान में संशोधन कर कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष कर दिया, अतः उसे अगले साल चुनाव कराने की अनुमति दी जाये।**

याचिकाकर्ता की ओर से बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान (बी.सी.आर.) को पत्र लिखकर अभिभाषक संघ की मनमानी करने की शिकायत की गई, लेकिन काउन्सिल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में कोटा अभिभाषक संघ को 13 दिसंबर को वार्षिक चुनाव कराने के निर्देश दिए जाए। इसके जवाब में अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों और बी.सी.आर. की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक और अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि संघ ने गत 29 जून को अपने संविधान में संशोधन किया है और इसे सहकारिता रजिस्ट्रार ने भी अप्रूव कर दिया है। इसके तहत कार्यकाल को एक साल से बढ़ाकर दो साल किया गया है। ऐसे में वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 9 दिसंबर, 2025 तक हो गया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

पूजा स्थलों की सुरक्षा व विवादों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य की बैंच 4 दिसम्बर को इस मामले में सुनवाई करेगी

नई दिल्ली, 27 नवंबर। देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिर और मस्जिदों का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में, कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद भयंकर हिंसा फैल गई। इन सब के बीच, अब सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित याचिका पर सुनवाई का संकेत दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित दायर की गई याचिका पर आगामी महीने यानी 4 दिसम्बर को सुनवाई का संकेत दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगी।

पूजा स्थलों की सुरक्षा एवं 1991 में बने कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पी नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। केस में याचिकाकर्ता के रूप में जमीअत उलमा-ए-हिंद और गुलजार अहमद नूर मोहम्मद आजमी का नाम लिस्टेड है। इनके वकील एजाज मकबूल कोर्ट के सामने पक्ष रखेंगे।

- **सन् 1991 के पूजा स्तल कानून में धार्मिक स्थलों को स्वतंत्रता के समय के स्वरुप में बरकरार रखने का प्रावधान था तथा रामजन्मभूमि -बाबरी मस्जिद विवाद को एकमात्र अपवाद माना था। 14- अब कोर्ट के आदेश से संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भयंकर हिंसा फैली।**

देश में1991 के पूजा स्थल कानून में प्रावधान किया गया था कि स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। उपासना स्थल कानून ऐसा कानून है, जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को बदलने पर पाबंदी लगाता है। धार्मिक स्थलों के स्वामित्व अधिकार को लेकर विवाद खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस कानून में दशकों से जारी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को एकमात्र अपवाद रखा था। इस कानून की धारा 3 किसी व्यक्ति और लोगों के समूहों को पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित करने से रोकती है।

चक्रवाती तूफान ''फेंगल'' आज तमिलनाडु पहुंचेगा

चेन्नई,27 नवंबर। तमिलनाडु में आज चक्रवाती तूफान फेंगल के पहुंचने के आसार हैं। इसकी वजह से यहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

इसके मद्देनजर, इंडिगो एयरलाइंस ने मंगलवार रात एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जबकि तिरुचिरापल्ली और सलेम भी अब प्रभावित हो सकते हैं।

- **चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं।**

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) के अनुसार, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित गहरा दबाव हाल ही में उत्तर की ओर बढ़ते हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

'सोशल मीडिया -ओटीटी पर अश्लील कंटैंट रोका जायेगा'

मंत्री वैष्णव ने इस मुद्दे पर कानून बनाने की जानकारी लोकसभा में दी

नई दिल्ली, 27 नवंबर। लोकसभा में हंगामे के बीच, बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है, जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते हैं।

- **सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा, पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए सम्पादकीय टीम होती थी। इसके कारण कोई अश्लील कंटैंट पब्लिश नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है।**

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव का यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908